मानक आकार पत्र–1

पुनर्ग्रहण आदेश

संख्या-1649/आठ–01 / 2022–23 / रा0सं0हा0–1 दिनांक: 17-07-2025

उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–32 / 744 / एक–1–2016 –20(5) / 2016 दिनॉक 03 जून, 2016 व पश्चात्वर्ती निर्गत समविषयक शासनादेश सं0–11 / 2020 / 689 / एक–1 –2020–20(5) / 2016 दिनॉक 06 जुलाई, 2020 का ऑशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2016 द्वारा यथासंशोधित की, धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 65 एवं शासनादेश सं0–689 / एक–1–2020–20(5) / 2016 दिनॉक 06 जुलाई, 2020 तथा शासकीय अधिसूचना सं0–688 / एक–1–2016–20(5) / 2016 दिनॉक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं आञ्जनेय कुमार सिंह, मण्डलायुक्त, मुरादाबाद संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ–5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेकर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर सःशुल्क उपलब्ध कराता हूँ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद पुनर्ग्रहण के लिये प्रस्तावित ग्राम–सोनकपुर तहसील मुरादाबाद स्थित ग्राम समाज की भूमि का चार गुना (ग्रामीण–क्षेत्र हेतु) मूल्य, ग्राम सोनकपुर की प्रचलित बाजारू दर, विक्रय पत्र के आधार पर रूपये 2,26,00,000 / –प्रति है0 X 0.388 = 87,68,800 X 4 = 3,50,75,200/- मूल्य एवं वार्षिक किराया ग्राम–सोनकपुर की माल गुजारी का पूँजीकृत मूल्य 5.63 / –रू0 X 150=845/-रू0 वार्षिक किराया (पुनर्ग्रहण प्रस्ताव में की गयी गणनानुसार) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद से राजकोष में लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियॉ–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा करायेंगे तथा जमा की रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। इसके उपरान्त ही राजस्व अभिलेखो मे आदेश का इन्द्राज किया जाये।

अनुसूची

क0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0 मे)	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सोनकपुर	675 676मि0 859 860 883मि0	0.024है0 0.020है0 0.178है0 0.065है0 0.101है0	श्रेणी–5–3 बंजर श्रेणी–5–3 बंजर श्रेणी–5–3 बंजर श्रेणी–5–3 बंजर श्रेणी–5–3 बंजर	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु
					कुल 05 किता	कुल रकबा 0.388है0		

उपरोक्त आदेश द्वारा परगना–सदर तहसील व जिला–मुरादाबाद की ग्राम पंचायत सोनकपुर मे अनुसूची मे उल्लिखित गाटा / क्षेत्रफल में "मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु" आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत की जा रही है, उपरोक्त भूमि का, उपलब्ध कराये जाने के दिनॉक से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2015 द्वारा यथासंशोधित, की धारा–59 अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट प्रबन्धन और नियंत्रण अब आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का होगा।

आज्ञा से

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।

कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

संख्या व दिनॉक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग–5, लखनऊ।
4– जिला अधिकारी, मुरादाबाद।
5– उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
6– नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
8– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार, सदर जनपद–मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश में निर्धारित समस्त धनराशि जमा होने के उपरान्त ही आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराकर उद्धरण खतौनी की 03 प्रमाणित प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को कब्जा हस्तगत करायें।
9– प्रधान, ग्राम पंचायत, सोनकपुर, वि0खं0 एवं जनपद–मुरादाबाद।

मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।

Scanned with OKEN Scanner